Remove Watermark Now

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 302/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1 श्रीमती अणसीदेवी के का0मुकाम– 1.1–रावताराम पुत्र स्व0 पूनाराम 1.2–खेताराम पुत्र स्व0 पूनाराम 1.3–वनाराम पुत्र स्व0 पूनाराम 1.4–गवरी पुत्री स्व0 पूनाराम 1.5–केशी पुत्री स्व0 पूनाराम 1.6–बाबु पुत्री स्व0 पूनाराम 1.7–सुआ पुत्री स्व0 पूनाराम सभी जातियान जाट निवासीगण प्रभुनगर (सडा) तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर		1– श्रीमती चनणीदेवी पत्नी हनुमानरम जाति जाट निवासी प्रभुनगर (सडा) तहसील सिणधरी जिला बाडमेर प्रफोर्मा पक्षकार– 2–भानाराम पुत्र वीराराम 3–जोधाराम पुत्र वीराराम 4–चौखाराम पुत्र वीराराम 5–उर्जाराम पुत्र वीराराम 6–जमना पत्नी वीराराम जातियान जाट निवासीगण प्रभुनगर (सडा) तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–5–2018 जो उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार मे प्रार्थना पत्र संख्या 224/2017 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री बींजाराम जाजडा अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– श्री उम्मेदाराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 2 से 6 की ओर से कोई उपस्थित नही।

pdfelement

निर्णय

दिनांक 31–12–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती चनणी देवी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया कि उसकी खातेदारी की भूमि ग्राम प्रभुनगर पटवार क्षेत्र सडा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नंबर 619/3 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा भूमि आई हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांटगण) की भूमि आई हुई है । वर्षा ऋतु मे प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं विप्रार्थीगण के बीच भूमि के सेढो को लेकर विवाद एवं तनाजा बना रहता है इस समस्या के निजात के लिए वर्तमान रेस्पो0 ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबर 619/3 रकबा 31.15 बीघा की नेखमबंदी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांटगण) को राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने वकालातनामा पेश किया तथा वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–5–2018 के द्वारा

Remove Watermark Now

प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम प्रभुनगर स्थित अपीलाधीन भूमि के सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करने के पश्चात विवादित भूमि के चारो ओर नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया कि पक्षकारो को नोटिस के जरिसे सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर करते हुए नेखम स्थापित करें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–5–18 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे अपीलाधीन निर्णय को पढकर सुनाया तथा मुख्य रूप से यह कथन किया कि लोक अदालत मे क्या पक्षकारो की सहमति के बिना कोई आदेश पारित किया जा सकता है, वकील अपीलांट ने अपनी बहस के निरंतर मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिनी का आवेदन पत्र लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांट की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का खण्डन किया था इसलिए पक्षकारान के बीच किसी प्रकार की कोई सहमति नही होते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे दी नेशनल लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी (लोक अदालत) रेगुलेशन 2009 संशोधित अधिसूचना दिनांक 28–8–19 जिसमे लोक अदालत के संबंध मे दिये गये प्रावधान तथा प्रक्रिया के बारे मे दिशा–निर्देश जारी किये हुए है, की ओर तथा माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सवाई सिह बनाम डेली लोक अदालत एवं अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 14–10–2015 के उद्धरण प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत मे पारित निर्णय लोक अदालत की भावना के अनुरूप नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–5–2018 को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि मैने अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबर 619/3 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा भूमि की सीमाओ की जानकारी के लिए सीमाज्ञान एवं नेखमबंदी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज कर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया तथा प्रत्यर्थीगण संख्या 6 से 9 (वर्तमान अपीलांट संख्या 1) की ओर से उनके अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब भी पेश किया था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो को सुनकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है उसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मे तहसीलदार सिणधरी को नियमानुसार सीमाज्ञान करके पक्के नेखम स्थापित करने से पूर्व प्रार्थिनी एवं अप्रार्थीगण को नोटिस के जरिये सूचित कर एक

pdfelement

Remove Watermark Now

निश्चित तारीख मुकर्रर करते हुए करने के स्पष्ट निर्देश दिये है जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश लोक अदालत के तहत पारित आदेश नही होकर राजस्व लोक अदालत/ केम्प कोर्ट का आदेश है इसलिए वर्तमान मामले मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दी नेशनल लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी (लोक अदालत) रेगुलेशन 2009 संशोधित अधिसूचना दिनांक 28–8–19 के प्रावधान लागू नही होते तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल राजस्व लोक अदालत की भावना के मध्यनजर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो तथा वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–5–2018 का अध्ययन किया तथा वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत दी नेशनल लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी (लोक अदालत) रेगुलेशन 2009 संशोधित अधिसूचना दिनांक 28–8–19 तथा माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सवाई सिह बनाम डेली लोक अदालत एवं अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 14–10–2015 का भी अध्ययन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती चनणी देवी ने इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया कि उसकी खातेदारी की भूमि ग्राम प्रभुनगर पटवार क्षेत्र सडा तहसील सिणधरी के खेत खसरा नंबर 619/3 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसके सेढा सेढ विप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांटगण) की भूमि आई हुई है तथा वर्षा ऋतु मे फसल बोने एवं सीमाओ/सेढो को लेकर पडौसी खातेदारो से विवाद एवं तनाजा बना रहता है इस समस्या के निजात के लिए वर्तमान रेस्पो0 ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबर 619/3 रकबा 31.15 बीघा की नेखमबंदी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो को नोटिस जारी कर, बाद सुनवाई के जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–5–2019 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम प्रभुनगर स्थित अपीलाधीन भूमि के सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करने के पश्चात विवादित भूमि के चारो ओर नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया कि पक्षकारो को नोटिस के जरिसे सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर करते हुए पक्के नेखम स्थापित करें ।

वर्तमान अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस के अवलोकन से यह प्रकट है कि वर्तमान अपीलार्थियां ग्राम प्रभुनगर के खसरा नंबर 619/4 की खातेदार है तथा वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 चनणीदेवी ग्राम प्रभुनगर के खसरा नंबर 619/3 की खातेदार है तथा सलंग्न नक्शा ट्रेस के अवलोकन

pdfelement

Remove Watermark Now

से उक्त दोनो खसरान की सीमाएं लगती हुई होने से दोनो के खातेदारी खेतो की सीमा के विवाद होने से अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ने विधिवत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही होगा । प्रस्तुत मामले मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि किसी भी खातेदार को अपने खातेदारी की भूमि की सीमा जानकारी करने तथा अपने खातेदारी की भूमि पर पक्के नेखम कायम करवाने के आदेश प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की भावना के मध्यनजर राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्ट पंचायत मुख्यालय ग्राम पंचायत चाडो की ढाणी मे पारित किया है तथा उसमे वर्तमान अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जवाब को कन्सीडर करते हुए अपीलाधीन भूमि पर पक्के नेखम स्थापित करने से पूर्व उभयपक्ष को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति मे पक्के नेखम स्थापित करने का जो आदेश दिया है, जो विधिसम्मत प्रतीत होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय नेशनल लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी (लोक अदालत) रेगुलेशन 2009 संशोधित अधिसूचना दिनांक 28–8–19 के प्रावधानो के तहत पारित किया हुआ नही होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रावधान इस मामले मे लागू नही होते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–5–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31–12–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2020.01.14 13:43:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: